यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.)-**VII**, वा णज्य कर वभाग, हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.)-**VII**, वा णज्य कर वभाग, हरिद्वार के माह 10/2015 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री डी.के.श्रीवास्तव, श्री कलवन्त संह सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 23.03.2018 से 31.03.2018 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा (प्रथम लेखापरीक्षा)--------सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक - से - तक श्री ---------- लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह - से - तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 10/2015 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः कर संग्रह ज्वालापुर

(ii) (अ) राजस्व ववरणः

वगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	705.16
2016-17	900.13

(II) (ब) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	बजट आवंटन		व्यय		बचत	
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
2014-15						
2015-16				लागू नहीं		
2016-17						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
लागू नहीं					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वतरण का कार्य नहीं कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई .....'B'... श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव- आयुक्त कर- ए डशनल क मश्नर- ज्वाइन्ट क मश्नर- डप्टी- अ सस्टेंट क मश्नर - राज्य कर अ धकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.)-**VII**, वा णज्य कर वभाग, हरिद्वार को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.)-**VII**, वा णज्य कर वभाग, हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्वः - 03/2017

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 अ

प्रस्तर-1 : कर का अनारोपण व ब्याज 5.05 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्य व र्धत कर अ धनियम - 2005 की धारा 3(1) के अनुसार कसी व्यौहारी द्वारा राज्य के भीतर कये गए प्रत्येक वक्रय पर इस अ धनियम के उपबन्धों के अधीन कर आरो पत कया जायेगा।

कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क॰नि॰), खंड-VII, हरिद्वार की लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण वादों की नमूना जाँच में पाया गया क व्यौहारीसर्वश्री ए॰ आर॰ ट्रे ड ॰ :, टिन न॰ : 05001717992 का वर्ष 2011-12 का प्रांतीय व केंद्रीय कर निर्धारण दिनाँक 17.02.2017 को पारित कया गया था। कर-निर्धारण आदेश की जाँच में पाया गया क करनिर्धारण- अ धकारी द्वारा प्रांतीय बिक्री 1,23,56,491/- पर 14,56,662/- कर निर्धारित कया गया था। कर निर्धारण आदेश में व्यापारी के वगत वर्ष के शेष 23,931/- एवं संगत वर्ष में देय आई॰टी॰सी॰ 11,83,755/- का लाभ दिये जाने उपरान्त 2,73,177/- अ धक शेष दिखाते हुये इसको केन्द्रीय कर के वरुद्ध समायोजित कया गया था। जब क, गत वर्ष के अ धक शेष 2,23,931/- व आई॰टी॰सी॰ 11,83,755/- (कुल 14,07,686का लाभ दिये जाने (के उपरान्त व्यापारी पर 48,976/- कर देयता थी ।

आगे केंद्रीय कर निर्धारण आदेश की जाँच में पाया गया क व्यापारी द्वारा केंद्रीय बिक्री 26,00,513/- पर 2,03,698/- कर निर्धारित कया गया था। परन्तु, प्रांतीय कर के रूप में अ धक शेष 2,73,177/- का लाभ दिया गया था जब क प्रांतीय कर में 48,976/- की कर देयता थी।

अतः प्रांतीय कर के रूप में देय कर 48,976/- एवं केंद्रीय 2 कर 03,698 -/ उपरान्त व्यापारी पर कुल 2,52,674/- कर आरोपणीय था जो क अ धरो पत नहीं कया गया था और न ही यह कर व्यापारी द्वारा जमा कराया गया था। चूं क यह व्यापारी का स्वीकृत कर था अतः इस पर लेखापरीक्षा की ति थ)03/201815 तक (% वा र्षक ब्याज की दर से 3,03,209/- (252674*96*1.25%) ब्याज भी देय था। चु कं मूलधन से ब्याज अ धक नहीं हो सकता इस लए 5,05,348/- देय बनता है (2,58,674+2,52,674) (धारा 41(8))।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कए जाने पर कर-निर्धारण अ धकारी द्वारा अपने उत्तर में कहा गया क जांचोपरांत कार्यवाही कर सू चत कया जायेगा।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर-1 : कर का न्यूनारोपण 2.52 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्य व र्धत कर अ धनियम - 2005 की धारा 3(1) के अनुसार कसी व्यौहारी द्वारा राज्य के भीतर कये गए प्रत्येक वक्रय पर इस अ धनियम के उपबन्धों के अधीन कर आरो पत कया जायेगा। अ धनियम की धारा 4(2)(ख)(i)(ई) के अनुसार कसी भी अनुसूची में सम्मि लत माल से भन्न माल पर 13.5% की दर से कर देय है ।

कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क॰नि॰), खंड-VII, हरिद्वार की लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण वादों की नमूना जाँच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री गौतम ट्रे डंग क॰, ज्वालापुर का वर्ष 2013-14 का कर निर्धारण दिनाँक 07.10.2017 को कया गया था। पत्रावली एवं कर-निर्धारण आदेश की जाँच में पाया गया क व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में पुराने कपड़े, धोती की 18,64,374/- की कर-मुक्त बिक्री की गयी थी। चूं क पुराने कपड़े, धोती कसी भी अनुसूची में सम्मि लत नहीं है, अतः उक्त बिक्री पर नियमानुसार 13.5% की दर से 2,51,690/- कर आरोपणीय था। इसके अतिरिक्त इस कर की रा श पर जमा कये जाने की ति थ तक ब्याज भी देय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कए जाने पर कर-निर्धारण अ धकारी द्वारा अपने उत्तर में कहा गया क जांचोपरांत कार्यवाही कर सू चत कया जायेगा।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर-2 : कर वलम्ब से जमा कये जाने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` **2.28** लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम-2005 की धारा-58)1)(vii) के अंतर्गत कसी व्योहारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना अ धनियम के उपबंधों के अधीन देय कर - प्रतिशत 10 अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं कया है तो वह देय कर का कम से कम प्रतिशत 25 कन्तु अ धक से अ धक, यदि कर `10000 ⁄- तक हो और देय कर का 50 प्रतिशतयदि कर `10000 ⁄- से अ धक हो, का दायी होगा।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर नियमावली-2005 के नियम-11 के अनुसार व्योहारी, जिनका पूर्ववर्ती वर्ष में लाख से अ धक का आवर्त रहा हो 50, कर का भुगतान मा सक, ईपेमेंट - तारीख तक करेगा। 25 द्वारा उत्तरवर्ती माह की

कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क॰नि॰), खंड-VII, हरिद्वार की लेखापरीक्षा में करनिर्धारण - पत्रवा लयों की नमूना जाँच मेंपाया गया क कार्यालय में पंजीकृत निम्न व्यौहारियों द्वारा अपना मा सक कर समय से जमा नहीं कराया गया था:

क्र॰ सं॰	व्यापारी का नाम वर्ष/	कर			रा श ( ) में	अर्थदण्ड ( ) में
		माह	देय ति थ	जमा करने की ति थ		
1	Sai Electrical Trd. Corp./ 2013-14	05/2013	25.05.13	13.07.13	35310	17655
		Ist qtr	25.07.13	12.11.13	60998	30499
		IInd qtr	25.10.13	11.12.13	138645	69322
		IIIrd qtr	25.01.14	08.02.14	100910	50455
		01/2014	25.02.14	08.03.14	17475	8738
2	Weld Arc/ 2011- 12	03/2012	25.05.12	01.05.12	103039	51520
	योग				**456377**	228189

अतः नियमानुसार उपरोक्त व्यापारियों पर ` 2 ,28,189/- अर्थदण्ड आरोपणीय था जो क आरो पत नहीं कया गया था ।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कए जाने पर कर-निर्धारण अ धकारी द्वारा अपने उत्तर में कहा गया क जांचोपरांत कार्यवाही कर सू चत कया जायेगा।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 2 ब</u>

न: श्री एन॰सी॰ शंखधर
॰

प्रस्तर-**3** : कर का अनारोपण 0.97 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्य व र्धत कर अ धनियम - 2005 की धारा 3(1) के अनुसार कसी व्यौहारी द्वारा राज्य के भीतर कये गए प्रत्येक वक्रय पर इस अ धनियम के उपबन्धों के अधीन कर आरो पत कया जायेगा।

कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क॰नि॰), खंड-VII, हरिद्वार की लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण वादों की नमूना जाँच में पाया गया क व्यौहारी सर्वश्री :गुरुकृपा कलेक्शन**,** रेलवे रोड**,** ज्वालापुर**,** हरिद्वार (टिन :0500**8389749)** का वर्ष 2010-11 का कर निर्धारण वा णज्य कर अ धकारी द्वारा दिनाँक 18.05.2016 को कया गया था। कर-निर्धारण आदेश की जाँच में पाया गया क व्यापारी द्वारा दा खल trading a/c के अनुसार दिनाँक 31.03.2011 को अंतिम अवशेष ` 21,66,550/- था। करनिर्धारण- आदेश में उक्त रा श का स्टॉक-ट्रांसफर दिखाते हुये उल्लेख कया गया था क ` 21,66,550/- का क्रे डट-नोट पत्रावली में संलग्न है। आगे पत्रावली की जाँच में पाया गया क व्यापारी द्वारा शपथ पत्र दा खल कया गया था जिसके अनुसार यह फर्म दिनाँक 31.10.2010 से बन्द कर दी गयी थी तथा शपथकर्ता द्वारा लफ़ोंजों कंपनी को सारा माल वापस कर दिया गया था। व्यापारी द्वारा IIIrd त्रैमास की दा खल ववरणी में माह 10/2010 में ` 21,66,550/- की वक्रय वापसी दिखाई गयी थी।

चूँ क पत्रावली में माल वापसी के सम्बंध में लफ़ोंजों कम्पनी के क्रे डट नोट नहीं पाये गये तथा इकाई द्वारा इसके साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये क ` 21,66,550/- की माल वापसी व्यापारी द्वारा की गयी थी। अतः ` 21,66,550/- को बिक्री मानते हुये इस पर 4.5% की दर से ` 97,450/- की कर देयता होगी ।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कए जाने पर कर-निर्धारण अ धकारी द्वारा अपने उत्तर में कहा गया क जांचोपरांत कार्यवाही कर सू चत कया जायेगा।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर-4 : कर का न्यूनारोपण 0.43 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्य व र्धत कर अ धनियम - 2005 की धारा 3(1) के अनुसार कसी व्यौहारी द्वारा राज्य के भीतर कये गए प्रत्येक वक्रय पर इस अ धनियम के उपबन्धों के अधीन कर आरो पत कया जायेगा।

कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क॰नि॰), खंड-VII, हरिद्वार की लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण वादों की नमूना जाँच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री आसाम टी कार्पोरेशन का वर्ष 2013-14 का कर निर्धारण दिनाँक 30.03.2017 को कया गया था। कर-निर्धारण आदेश की जाँच में पाया गया क व्यापारी के संगत वर्ष की व्यापारिक स्थिति निम्न थी:

प्रा॰ अवशेष: 1285604
क्रय: 6673879
वक्रय: 6843020
अंतिम अवशेष: 768713

पत्रावली की जाँच में पाया गया क व्यौहारी द्वारा प्रस्तुत ट्रे डंग a/c में व्यापारी द्वारा सकल लाभ 512990/- दर्शाया गया था। अतः व्यापारी द्वारा प्रस्तुत ट्रे डंग a/c के अनुसार बिक्री निम्नवत होगी:

प्रा॰ अवशेष: 1285604
क्रय: 6673879
सकल लाभ: 512990
अंतिम अवशेष: 768713
वक्रय: 7703760

चूं क कर-निर्धारण आदेश में व्यापारी द्वारा बिक्री 6843020/- पर 5% की दर से कर अदा कया जा चुका है, अतः अंतरीय बिक्री 860740/- (7703760 - 6843020) पर 5% की दर से 43037/- कर आरोपणीय था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कए जाने पर कर-निर्धारण अ धकारी द्वारा अपने उत्तर में कहा गया क जांचोपरांत कार्यवाही कर सू चत कया जायेगा।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1 : कर का न्यूनारोपण 0.15 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्य व र्धत कर अ धनियम - 2005 की धारा 3(1) के अनुसार कसी व्यौहारी द्वारा राज्य के भीतर कये गए प्रत्येक वक्रय पर इस अ धनियम के उपबन्धों के अधीन कर आरो पत कया जायेगा। अ धनियम की धारा 4(2)(ख)(i)(ई) के अनुसार कसी भी अनुसूची में सम्मि लत माल से भन्न माल पर 13.5% की दर से कर देय है ।

कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क॰नि॰), खंड-VII, हरिद्वार की लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण वादों की नमूना जाँच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री गणेश इंटरप्राइजेज़, ज्वालापुर का वर्ष 2013-14 का कर निर्धारण दिनाँक 30.03.2017 को कया गया था। फर्म दवाइयों एवं फूड-सप्लिमेंट्स आदि की खरीद बिक्री हेतु पंजीकृत है। पत्रावली एवं कर-निर्धारण आदेश की जाँच में पाया गया क व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में फूड-सप्लिमेंट्स की बिक्री कम दर्शायी गयी थी। ववरण निम्नवत है:

प्रा॰ अवशेष:	54510
क्रय:	201230
योग:	255740
अंतिम अवशेष:	0
वक्रय:	142701
कम वक्रय:	113039

चूं क व्यौहारी का अंतिम अवशेष शून्य था। अतः कम बिक्री 113039 को क्रय मानते हुये उक्त पर 13.5% की दर से 15260/- कर आरोपणीय था जो क आरो पत नहीं कया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कए जाने पर कर-निर्धारण अ धकारी द्वारा अपने उत्तर में कहा गया क जांचोपरांत कार्यवाही कर सू चत कया जायेगा।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-2 : आई॰टी॰सी॰ रिवर्स न कया जाना 0.12 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्य व र्धत कर अ धनियम की धारा 2005 = 6(4)(कके अनुसार यदि (जिस पर इस (पूँजीगत माल को छोड़कर) कसी कर अव ध में कोई पंजीकृत व्यक्ति माल धारा के उपबन्धों के अधीन इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य है, का क्रय करता है और ऐसे क्रय को उपधारा-3 में वनिर्दिष्ट व भन्न प्रयोजनों के लये आं शक रूप से उपयोग करता है, तो इनपुट टैक्स का लाभ उसी अनुपात में अनुमन्य होगा जिस सीमा तक व भन्न प्रयोजनों हेतु उनका उपयोग कया गया है ।

कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क॰नि॰), खंड-VII, हरिद्वार की लेखापरीक्षा में करनिर्धारण - :पत्रवा लयों की नमूना जाँच में निम्न तथ्य प्रकाश में आये

)i) व्यापारी सर्वश्री बत्रा प्रोडक्टस का वर्ष 2010-11 का कर18 निर्धारण दिनाँक-.11. 2016 बिक्री का है। -को कया गया था। फर्म का व्यापार बैकरी प्रोडक्टस के निर्माण व खरीद निर्धारण आदेश व पत्रावली की जाँच में पाया गया क संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा रु-कर 10, 044+ 2,40,802. 80(कुल 2,50,847/-) का क्रय वनिर्माण हेतु)manufacturing a/c) कया गया था। उक्त क्रय पर 4.5% की दर से 11,288/- आई॰टी॰सी॰ का लाभ कर5 निर्धारण आदेश में पंजीकृत व्यापारियों से प्रांतीय खरीद रु-,76,335/- पर अनुमन्य आई॰टी॰सी॰ 25,935/- के अंतर्गत दिया गया था। जाँच में पाया गया क व्यापारी द्वारा 14,79,936/- के रस्क की करमुक्त बिक्री निर्माणोपरांत की गयी थी जिसमे कच्चे - 14 माल का प्रयोग कया गया था। यह बिक्री निर्माणोपरांत कुल बिक्री रुक्री 79,936 + 4,34,399 + 6,23,079 (कुल 25,37,414/-) का 58.32% है। अतः नियमानुसार व्यापारी को कच्चे माल जिसक)ा प्रयोग रस्क के निर्माण में कया गयाके क्रय पर (11 ॰टी॰सी॰ रुआ,288/- का 58.32% 6,583/ रिवर्स योग्य था ।

)ii) व्यापारी सर्वश्री अरोड़ा फूड्स का वर्ष 2013-14 का कर30 निर्धारण दिनाँक-.11. 2016 को कया गया था। फर्म का व्यापार बिस्किट, नमकीन एवं बंद, रस आदि के निर्माण व खरीदनिर्धारण आदेश व पत्रावली की जाँच में पाया गया क संगत-बिक्री का है। कर- वर्ष में व्यापारी द्वारा 2,18,607/- का रॉघी) मटिरियल-, रिफाइंड,आटा, मैदा आदि की (4 पर रु दखरी,733/- आई॰टी॰सी॰ का लाभ दिया गया था। आगे जाँच में पाया गया क व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में 1,95,750/- के करमुक्त बंद व रस्क की बिक्री की यी - 3 थी। यह बिक्री कुल बिक्री रु,13,787/- का 62.38% है। अतः नियमानुसार व्यापारी को अनुमन्य आई॰टी॰सी॰ 4733/ का 62.38% 2952/ रिवर्स योग्य था।

)iii) व्यापारी सर्वश्री ए॰के॰ गैस स र्वस का वर्ष **2012- 13** का कर निर्धारण दिनाँक- 28.04.निर्धारण आदेश व पत्रावली की जाँच में पाया गया -को कया गया था। कर 2016 क संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा प्रांतीय पंजीकृत व्यापारियों से खरीद रु3,67,706/- पर 24,941/- का आई॰टी॰सी॰ क्लैम कया गया था एवं जिसे कर निर्धारण अ धकारी द्वारा अनुमन्य कया गया था। पत्रावली पर प्रस्तुत क्रय बीजकों की जाँच में पाया गया क

व्यापारी द्वारा दिनांक 31.03.2013 को ₹ 29000/- के Welding rod का क्रय कया गया था जिस पर 13.5% की दर से ₹ 3915/- का आई.टी.सी. लाभ लया गया था। चूं क वैल्डिंग welding rod पर 5% (अनुसूची II-ख) ही कर देय है, अतः ₹ 29000/- पर 5% की दर से ₹ 1450/- आई.टी.सी. का लाभ अनुमन्य होगा एवं ₹ 2465/- आई.टी.सी. रिवर्स होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कए जाने पर कर-निर्धारण अ धकारी द्वारा अपने उत्तर में कहा गया क जांचोपरान्त कार्यवाही कर सू चत कया जायेगा।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबं धत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या
	शून्य	

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण : शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.)-**VII**, वा णज्य कर वभाग, हरिद्वार तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये:
2. सतत् अनिय मतताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्रीमती शवानी त्रिपाठी	सहा. आयुक्त

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.)-**VII**, वा णज्य कर वभाग, हरिद्वार को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अ धकारी/राजस्व क्षेत्र